क्रम-संख्या–78

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 अप्रैल, 2023

बैशाख 7, 1945 **शक सम्वत्**

उत्तर प्रदेश शासन

आयुष अनुभाग–1

————

संख्या 2083 / 96–आयुष-1–2023-290-2013

लखनऊ, 27 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–13

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश आयुष विभाग (आयुर्वेदिक) भेषजिक सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेदिक भेषजिक सेवा नियमावली, 2023

भाग–एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेदिक भेषजिक सेवा नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2– उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेदिक भेषजिक सेवा एक अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3–जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हों, इस नियमावली में–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य निदेशक से है;

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(ङ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(च) 'निदेशक' का तात्पर्य निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, उत्तर प्रदेश से है;

(छ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(ज) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(झ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ञ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ट) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेदिक भेषजिक सेवा से है;

(ठ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग के किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो, और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ड) 'भर्ती वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो

संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्नलिखित होगी–

क्र0 सं0	पद का नाम	संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	मुख्य भेषजिक(आयुर्वेदिक)	156	––	156
2	भेषजिक(आयुर्वेदिक)	2094	06	2100

परन्तु यह कि :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है, या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं; जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न हो; या

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जितना वह उचित समझें।

भाग–तीन

भर्ती

5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :– भर्ती का स्रोत

(एक) भेषजिक (आयुर्वेदिक)–आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) मुख्य भेषजिक (आयुर्वेदिक)–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे भेषजिक (आयुर्वेदिक), जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

6–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 एवं भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा। आरक्षण

भाग–चार

अर्हता

7–सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :– राष्ट्रीयता

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए ऐसा व्यक्ति होना आवश्यक है जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु जिसे न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8–सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से विज्ञान (जीव विज्ञान वर्ग) में इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो और अभ्यर्थी आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत किसी मान्यताप्राप्त संस्था से आयुर्वेद भेषजिक में डिप्लोमा अवश्य धारित करता हो। शैक्षणिक अर्हता

अधिमानी अर्हता

9–अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमानी दिया जायेगा जिसने,–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो;

या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10–भेषजिक (आयुर्वेदिक) के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जायें, की पहली जुलाई को अठ्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और चालीस वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और ऐसी अन्य श्रेणियों, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, के अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए ऐसे चरित्र का होना आवश्यक है जैसा कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12–सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

13–किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–2, भाग–3 के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेन्टल रूल–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

भाग–पाँच

भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष के प्रक्रम के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना उन्हें दी जायेगी।

15–सेवा में पद पर सीधी भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश समूह ''ग'' के पदों पर सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी। सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16–(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर निम्नानुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी,– पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

(एक) निदेशक, आयुर्वेद	–	अध्यक्ष
(दो) किसी राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश के प्राचार्य	–	सदस्य
(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी	–	सदस्य

टिप्पणी :– किसी अधिकारी का नाम निर्दिष्ट करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को शासनादेश संख्या–15/25/75–राष्ट्रीय एफ–1–सारण दिनांक–10 मई, 1979 में अन्तर्विष्ट शासनादेश अथवा भर्ती के समय यथा प्रवृत्त अन्य आदेश को ध्यान में रखना होगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार पात्रता सूचियॉ तैयार करेगा और उन्हें उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और यदि आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग–छः

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

17–(1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम, जिसमें वे यथास्थिति नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आयें हो, में लेकर नियुक्ति करेगा। नियुक्ति

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा कि चयन में अवधारित किया गया हो, या उस संवर्ग में, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो।

18–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से विस्तारीकरण प्रदान किये जाने वाले दिनांक को विनिर्दिष्ट करते हुए वैयक्तिक मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है :

परन्तु यह कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है, या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद, यदि कोई हो पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं हों किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण

19—(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि :—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण किया जाना आवश्यक न हो, वहां उस नियमावली के नियम (5) के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है, स्थायीकरण का आदेश माना जायेगा।

ज्येष्ठता

20—सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग—सात

वेतन इत्यादि

वेतनमान

21—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत है—

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान
1	मुख्य भेषजिक (आयुर्वेदिक)	वेतन मैट्रिक्स लेवल—7 (रू0—44,900—1,42,400)
2	भेषजिक (आयुर्वेदिक)	वेतन मैट्रिक्स लेवल—5 (रू0—29,200—92,300)

परिवीक्षा अवधि में वेतन

22—(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, को समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान करने में विफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना तब तक वेतन वृद्धि के लिए नही की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति को जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित किया जायेगा परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान करने में विफलता के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो ऐसे विस्तार की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग—आठ

अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

23—सेवा में किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों, चाहें लिखित हो या मौखिक, पर विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने पर कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

24—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों से आच्छादित न हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होगें।

सेवा शर्तों में शिथिलता

25—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहॉ वह उस मामले में लागू नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम के अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

26—इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पड़ेगा जिनकी व्यवस्था इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से
लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2083/XCVI-Ayush-1–2023-290-2013, dated April 27, 2023 :

No. 2083/XCVI-Ayush-1–2023-290-2013

Dated Lucknow, April 27, 2023

IN exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Ayush Department (Ayurvedic) Pharmacists service.

THE UTTAR PRADESH AYUSH DEPARTMENT AYURVEDIC PHARMACISTS SERVICE RULES, 2023

PART-I

GENERAL

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Ayush Department Ayurvedic Pharmacists Service Rules, 2023.

(2) They shall come into force at once.

Status of the service

2. The Uttar Pradesh Ayush Department Ayurvedic Pharmacists Service is a Subordinate service comprising Group "C" Posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) 'Act' means The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(b) 'appointing authorit' means Director ;

(c) 'citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part-II of the Constitution ;

(d) 'Commission' means the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission ;

(e) 'Constitution' means Constitution of India;

(f) 'Director' means the Director of Ayurved Services Uttar Pradesh;

(g) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(h) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(i) 'member of service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or order in force, prior to commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(j) 'Other Backward Classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time;

(k) 'service' means the Uttar Pradesh Ayush Department Ayurvedic Pharmacists Service;

(l) 'substantive appointment' means an appointment, not being an adhoc appointment, or a post in the cadre of the service, and after selection in accordance with the rules, and if there were no rules in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(m) 'year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of calendar year.

PART-II

CADRE

Cadre of service

4. (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein, shall, until orders verying the same are passed under sub rule (1) be as given below :-

Serial no.	Name of the posts	Number		
		Permanent	Temporary	Total
1	Chief Pharmacists (Ayurvedic)	156	----	156
2	Pharmacists (Ayurvedic)	2094	06	2100

Provided that :–

(i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation : or

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART-III

RECRUITMENT

Source of recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources :-

(i) Pharmacist (Ayurvedic) – By direct recruitment through the Commission.

(ii) Chief Pharmacist (Ayurvedic) – By promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Pharmacist (Ayurvedic) who have completed ten years services as such on the first day of the year of recruitment.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the “Act” and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex. Servicemen) Act, 1993, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020 as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of recruitment.

PART-IV

QUALIFICATION

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be :–

(a) A citizen of India ; or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before the Ist January, 1962 with the intention of permanently setling in India; or

(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka…. or any of East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly….Tanganyika and Zenziban)with the intention of permanently settling in India :

Provided that the candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belongs to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in a service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE :– A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted in an examination or interview and he may be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualification

8. A candidate for direct recruitment to the post in the service must have passed Intermediate Examination in Science (Biology Group) from the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an Examination recognised by Government as equivalent thereto and candidate must possess diploma in Ayurvedic Pharmacy from a recognized institution registered with Board of Ayurvedic and Unani Tibbi System of Medicine U.P.

Preferential qualification

9. A candidate who has :–

(i) served in the territorial army, for a minimum period of two years; or

(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps shall, other things being equal be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for direct recruitment to the post of Pharmacist (Ayurved) must have attained the age of eighteen years and must not have attained the age of more than forty years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE :– Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that there exists special grounds for doing so exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness

13. No candidate shall be appointed by direct recruitment to a post services unless he/she be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his/her duties. Before a candidate is finally approved for appointment he/she shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under fundamental rule 10 contained in Chapter III of Financial Hand book, Volume II, Part III.

PART-V

PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

14. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled by direct recruitment during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes and other categories under rule 6. The vacancies to be filled through commission shall be intimated to them.

Procedure for direct recruitment

15. Direct recruitment to the post in the service shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Direct Recruitment to Group "C" Posts (Mode and Procedure) Rules, 2015 as amended from time to time.

Procedure for recruitment by Promotion

16. (1) Recruitment by Promotion shall be made on the basis of seniority subject to rejection of unfit, through the Selection Committee comprising :-

(i) Director Ayurved	–	Chairman
(ii) Principal of any Government Ayurvedic College, U.P.	–	Member
(iii) An Ayurvedic Medical Officer nominated by the appointing authority	–	Member

NOTE :– In nominating the Officer the appointing authority shall keep in view the order of the Government contained in G.O. as 15/25/75-Rashtriya F1-saran dated May 10, 1979 of Such other order as may be in force at the time of recruitment.

(2) The appointing authority shall prepared eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on the post outside purview of the Public Service Commission). Eligibility list Rules, 1986 and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records pertaining to them as may be, considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the case of candidates on the basis of records referred to in sub rule (2) and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the appointing authority.

PART VI

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

17. (1) On the occurrence of substantive vacancies the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in order in which they stand in a list prepared under Rule -15 and 16 as the case may be.

(2) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning names of the persons in order of seniority as determined in the selection, or as the case may be as it stood in the cadre from which they are promoted.

Probation

18. (1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013 as amended from time to time on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual case specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationary has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any posts, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub rule (3) shall not be entitled to any compensation.

Confirmation

19. (1) Subject to the provisions of sub rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if ;

(a) his/her work and conduct is reported to be satisfactory;

(b) his/her integrity is certified; and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where in accordance with the provisions of Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules 1991, confirmation iş not necessary, the order under sub rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority

20. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART-VII

PAY *ETC*.

Scale of Pay

21. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of the posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of commence of these rules are given as follows :-

Sl. no.	Name of the post	Scales of pay
1	Chief Pharmacists (Ayurvedic)	Pay Matrix level -7 Rs. 44,900 – 1,42,400
2	Pharmacists (Ayurvedic)	Pay Matrix level - 5 Rs. 29,200 – 92,300

Pay during Probation

22. (1) Notwithstanding any provision in the fundamental rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service when he has completed the probationary period and he is also confirmed:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increments, unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of persons who has already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the state.

PART–VIII

OTHER PROVISIONS

Canvassing

23. No recommendation, either written or oral other than those required under the rules, applicable to the post or service will be taken into consideration, any attempt on the part of a candidates to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

24. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service

25. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the conditions of service, of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rules to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings

26. Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
LEENA JOHRI,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 258 राजपत्र–2023–(756)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 आयुष–2023–(757)–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
258 RPH (Ayurvedic Anu.-1) data 4e